रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032020-218606
CG-DL-E-12032020-218606

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 931] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 2020/फाल्गुन 21, 1941
No. 931] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 2020/PHALGUNA 21, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2020

का.आ. 1036(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 5639(अ), तारीख 30 अक्तूबर, 2018, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 30 अक्तूबर, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, पूर्वोक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युतर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार किया गया था;

और, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान 12° 34' और 12° 50' उत्तरी अक्षांश तथा 77° 31' और 77° 38' पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है तथा 260.51 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक राज्य के दक्षिण-पूर्वी कोण और दक्षिण में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य सीमा के साथ में स्थित है; अभयारण्य तमिलनाडु के थाली, थाली एक्सटेंशन और ज्वालागिरि रिज़र्व वन के साथ सीमांकित है इसके दक्षिण-पूर्वी सीमाओं के निकटस्थ वन्यजीवों के लिए लगभग 1400 वर्ग किलोमीटर पर्यावास बनाया गया जो हाथियों और अन्य वन्यजीव प्रजातियों के लिए सम्पूर्ण मुख्य का लघु पर्यावास है;

और, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के निकटवर्ती थाली रिज़र्व वन "मैसूर हाथी रिज़र्व" के उत्तरी भाग के सीमावर्ती बिंदु पर प्रवास बृहद-एशियाई हाथियों का वास है जो कि कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के निकटस्थ है और इस क्षेत्र में प्रचुर वनस्पतियों और जीवजंतुओं की विविधता है;

और, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की प्रजनन संख्या और तेंदुआ, जंगली कुत्ते, गौर, सांभर, चीतल, रीछ, तवांगु, औरियंटल वाइट रैम्पड् गिद्ध, लौंग बिल्ड गिद्ध, येलो थ्रोटेड बुलबुल और अन्य महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रजातियों का भी आश्रय प्रदान करता हैं;

और, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र घाटियों में नदी तटीय और आर्द्र पर्णपाती पर्यावास के साथ शुष्क पर्णपाती और झाड़ी वनों से ढका हुआ है; बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रों में मुख्य वानस्पतिक प्रजातियों में *एनोगेइसियस लटिफोलिया, अकाकिया कैटेचु, अकाकिया लिउकोफोलिया, टेक्टोना ग्रांडिस, सैंटालम एलबम, शोरेयाटालुरा, अज़ादिराचटैं इंडिका, टरमिनिलिया पनीकुलाटा, टरमिनिलिया चेबुला, टरमिनिलिया टोमेनटोसा, डलबेरगिया लटिफोलिया, लगेरस्ट्रोमिया लांसियोलाटा, ज़िज़िफुस जुजुबा, डेनड्रोकलामस ट्रीकटस,* आदि हैं;

और, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाने वाली वनस्पतियों की दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न प्रजातियां कागाली (*अकाकिया कैटेचु*), डिंडिगा (*एनोगेइसस लैटिफोलिया*), मुथुगा (*बुटिया मोनोस्पर्मा*), उरुगलु (*क्लोरोक्साइलॉन स्विटिएनिया*), बिते (*डालबर्गिया लैटिफोलिया*), कामरा (हार्डविकिया बिनाटा), होन्ने (*प्टेरोकार्पस मर्सुपियम*), श्रिगंधा (*सैंटलम एल्बम*), सागड़े (*श्लेचेरा ओलोसा*), मट्टी (*टर्मिनलिया पैनिकुलाटा*), तारे (*टर्मिनलिया बेलेरिका*), एले (*राइटिया टिनक्टोरिया*), जालारी (*शोरिया रोक्सबर्गि*), मावु (*मंगीफेरा इंडिका*), धुपा (बोसवेलिया सेर्राटि), आदि हैं;

और, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले स्तनधारियों और सरीसृपों की दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न प्रजातियां बाघ (*पैंथेरा टिगरिस*), तेंदुआ (*पैंथेरा पार्डस*), भारतीय जंगली कुत्ता या ढोले (*कुओनल पिनस*), गोल्डन सियार (*कैनिस ऑरियस*), धारीदार लकड़बग्घा (*हेयना हेयना*), रीछ (*मेलुर्सस अरसिनस*), जंगली बिल्ली (*फेलिस चाउस*), रस्टी-स्पॉटेड कैट (*प्रिओनैलुरुस रुबीगिनोसस*), हनी बैजर (*मेलिवोरा कैपेन्सिस*), भारतीय साही (*हाइस्ट्रिक्स इंडिका*), भारतीय साल (*मैनीस क्रैसिकाडाटा*), छोटा भारतीय मुसंग (*विवर्रिकुला इंडिका*), सामान्य मुसंग (*पैराडाक्सुरस हर्मैफ्रोडाइटस*), रड्डी नेवला (*हर्पेस्टेस स्मिथि*), ग्रे नेवला (*हेर्पेस्टेस एडवार्ड्सी*), एशियाई हाथी (*एलेफस मैक्सिमस*), गौर (*बोस* गौरस), सांभर (*रूसा यूनीकोर्लर*), चीतल (*एक्सिस एक्सिस*), चौसींगा मृग (*टेट्रासेरस क्वाड्रिकॉर्निस*), काला हिरण (*एंटिलोप सर्विकाप्रा*), जंगली सूअर (*सुस्क्रोफा*), भारतीय मुंजक (*मुनटीक्स मुनतजक*), इंडियन स्पॉटेड शेवरोटैन (*मोस्कोओला इंडिका*), दक्षिणी मैदानी ग्रे लंगूर (*सेमनोपिथेकस दुसुमियेरी*), लघु पुच्छ वानर (*मकाका रेडिएटा*), ब्लैक नेपड खरगोश (*लेपस निग्रिकोलिस*), भारतीय विशाल उड़ान गिलहरी (*पेटोरिस्टा फिलिपेंसिस*), मद्रास ट्री श्रेव (*अनाथाना इलीओटी*), मार्श मगरमच्छ (*क्रोकोडाइलस पालस्ट्रिस*), भारतीय मॉनीटर छिपकली (*वाराणस बेंगलेंसिस*), भारतीय लोमड़ी (*वुल्प्स बेंगलेंसिस*), भूरा नेवला (*हेर्पेस्टेस फुस्कस*), आदि हैं;

और, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में पाए गए पक्षियों की दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न प्रजातियां ओरिएंटल व्हाइट-बैकड गिद्ध (*जिप्स बेंगलेंसिस*), ग्रेटर स्पॉटेड ईगल (*क्लंगा क्लंगा*), लांग-बिल्ड गिद्ध (*जिप्स इंडिकस*), नीलगिरी लकड़ी कबूतर (*कोलंबिया एलिफिंस्टोनी*), पीला-थ्रोटेड बुलबुल (*पायकोनोटस एक्साथोलेमस*), व्हाइट-बिल्लड ब्लू-फ्लाईकैचर (*साइरोनिस पैल्लिपेस*), आदि हैं;

और, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान अरकावथी, सुर्वनामुखी, मुथयालामादवु होले, रायथामाला होले, हेब्बालाहल्ला होल और अंथरागंगे नदी के लिए महत्वपूर्ण जलसंभर क्षेत्र है जो कावेरी नदी से जुड़ता है;

और, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाऐं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के

खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य बैंगलुरू और रामानगरा जिला में बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 100 मीटर से 1.0 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**- (1) **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार** बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 100 मीटर से 1.0 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 168.84 वर्ग किलोमीटर **है**।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रुप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख, उपाबंध-IIग, उपाबंध-IIघ** और **उपाबंध-IIङ** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि;
(iv) राजस्व;
(v) नगर विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज;
(xi) लोक निर्माण विभाग
(xii) राजमार्गों; और
(xiii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

IndiaCode

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों नदियों और जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा;

(ख) पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी;

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी;

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और सैरगाह के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016, द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016, द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016, द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर यथासंशोधित, प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में यानीय प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषण करने वाले उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जाएंगी ।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	विवरण (3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा; (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

ख. विनियमित क्रियाकलाप		
8.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:- परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।
12.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
13.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
14.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर,	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।

	ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	
17.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
19.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
20.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
21.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
22.	ठोस अपशिष्ट एवं प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
23.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
24.	पारिस्थितिकी-पर्यटन	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
25.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी किया जायेगा।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

क्र.सं.	मानीटरी समिति का संविधान	पद
(i)	प्रादेशिक आयुक्त, बैंगलुरू	अध्यक्ष,पदेन;
(ii)	पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	कर्नाटक सरकार द्वारा नामित प्राकृतिक संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	क्षेत्रीय अधीकारी, मैसूर, कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(vi)	कर्नाटक सरकार द्वारा नामित राज्य संस्थान के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय के पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(viii)	उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, बैंगलोर शहरी जिला	सदस्य;
(ix)	उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, रामानगर जिला	सदस्य;
(x)	उप वन-संरक्षक, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बैंगलुरू	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश–निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और तत्पश्चात मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) ऐसे क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रींय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे अनुसूची में क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध V के अनुसार प्रोफार्मा उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

IndiaCode

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/12/2016-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

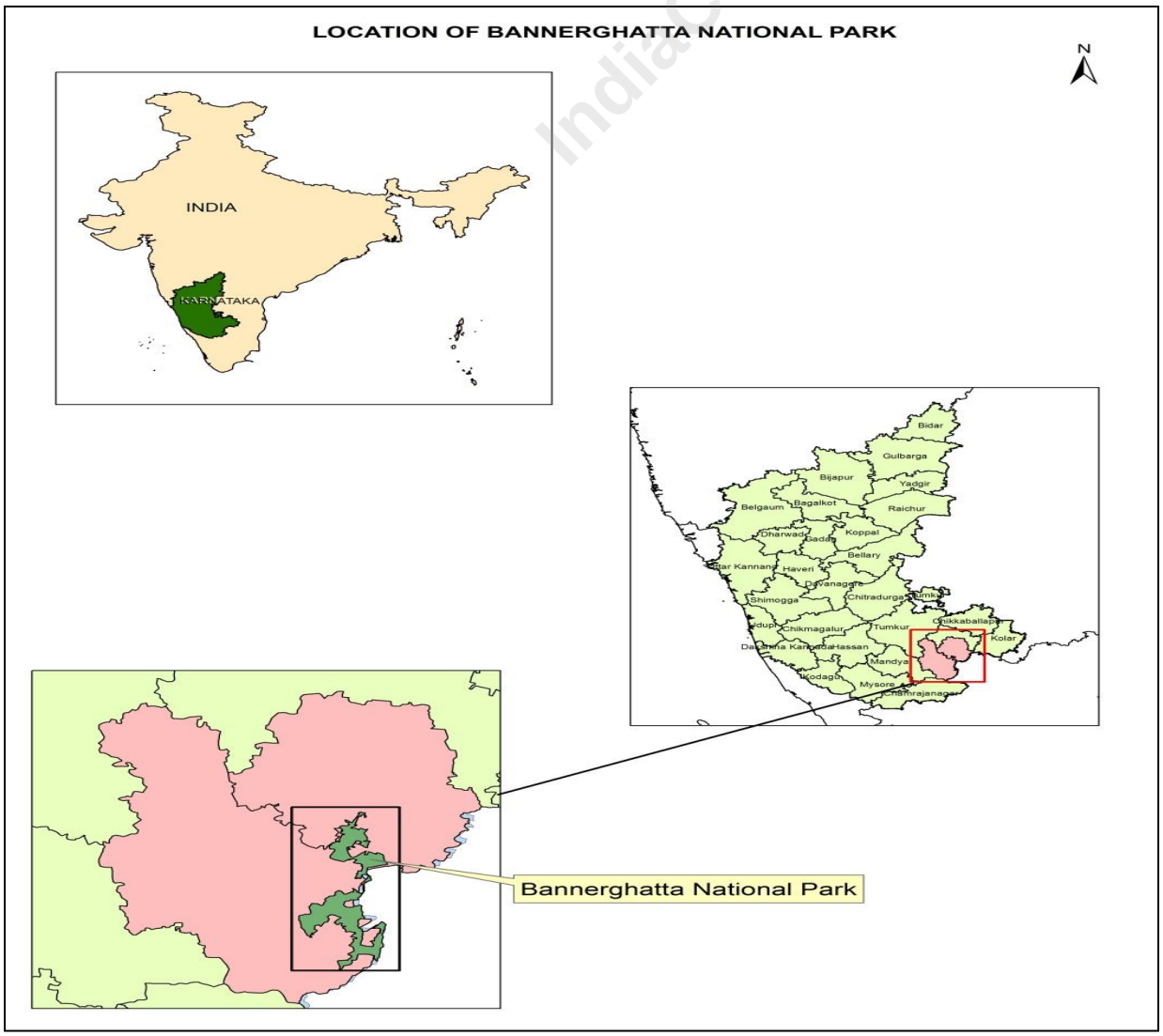
कर्नाटक राज्य में बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा जी पी एस अवस्थान 12.844 उ, 77.584 पू के साथ बिन्दु से आरंभ होकर, पील्लागानाहल्ली ग्राम में बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की उत्तरी प्रमुख सीमा से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। सीमा इसके बाद बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के साथ 100 मीटर की दूरी बनाकर पूर्व की ओर मुड़कर पिलीगनाहल्ली, गोट्टीगेरे, बसवानपुर, होम्मादेवनाहल्ली और कालकेरे ग्रामों से होते हुए जाती है।
पूर्व	इसके बाद यह बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के साथ चरम बिंदु से 1.0 किलोमीटर की समानान्तर दूरी बनाकर वदेराहल्ली, गोल्लाहल्ली, बनेरघट्टा, बायराप्पनाहल्ली, मनतापा, बेगीहल्ली, बुक्कासंदरा, कल्लाबालु, महालिंगापुरा, रगिहल्ली, सिवानाहल्ली, कदुजक्कनाहल्ली, बग्गनादोद्दी, थाट्टेकेरे, इंदलावदी, इंदलावदीपुरा, चिक्का होसाहल्ली, तम्मानयाकनाहल्ली ग्रामों से होते हुए जाती है यह निर्देशांक उ 12^0 40` 41.19`` पू $77^0$ 38` 32.24`` के साथ कर्नाटक और तमिलनाडु की अंतर्राज्यीय सीमा पर बिंदु को छूती है। इसके बाद रेखा अंतर्राज्यीय सीमा का साथ दक्षिण की ओर जाती है यह थेरुबीडी ग्राम सीमा के बिंदु पहुँचती है और इसके अतिरिक्त अंतर्राज्यीय सीमा के साथ दक्षिण दिशा की ओर जाती है यह गत्तीगुण्डा ग्राम पहुँचती है। इस बिंदु से रेखा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ चरम बिंदु से 1.0 किलोमीटर की समानान्तर दूरी बनाकर गत्तीगुण्डा, बिज्जाहल्ली, कोलागोण्दनाहल्ली ग्रामों से होते हुए दक्षिण की ओर जाती है यह अंतर्राज्यीय सीमा पहुँचती है और इसके अतिरिक्त अंतर्राज्यीय सीमा के साथ जाकर यह गत्तीगुण्डा ग्राम पहुँचती है।
दक्षिण	ऊपर बिंदु से सीमा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ चरम बिंदु से 1.0 किलोमीटर की समानान्तर दूरी बनाकर गंगनाहल्ली, हुनसानाहल्ली, तट्टेकेरे, बालागोंदानाहल्ली और बन्नीमुकोदलु ग्रामों से होते हुए दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर जाती है यह कावेरी वन्यजीव अभयारण्य और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के सामान्य बिंदु पहुँचती है और इसके अतिरिक्त उत्तर-पूर्व दिशा की ओर के साथ उसी दूरी के लिए सामान्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन जाती है यह गोद्दावीरनहोसाल्ली ग्राम पर निर्देशांक उ 12^0 21` 41.19`` पू $77^0$ 32` 22.54`` के साथ बिंदु को छूती है ।
पश्चिम	ऊपर बिंदु से रेखा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ चरम बिंदु से 100 मीटर की समानान्तर दूरी बनाकर गोद्दावीरनहोसाल्ली और सलबान्नी ग्रामों से होते हुए उत्तर की ओर जाती है। इसके अतिरिक्त रेखा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ चरम बिंदु से 1.0 किलोमीटर की समानान्तर दूरी बनाकर अनेकादाबुरु ग्राम से होते हुए जाती है और इसके बाद रेखा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ चरम बिंदु से 100 मीटर की समानान्तर दूरी बनाकर होसादुर्गा, बोम्मासंदरा, बिजाहल्ली, तीपीतुरा, हेरान्दयापनाहल्ली ग्रामों से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ

	चरम बिंदु से 1.0 किलोमीटर की समानान्तर दूरी बनाकर केन्गलानाट्टा गोल्लाहल्ली, केब्बरे, हंचागुली और कलासुरु ग्रामों से होते हुए जाती है। इसके अतिरिक्त रेखा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ चरम बिंदु से 100 मीटर की समानान्तर दूरी बनाकर दोद्दागुली ग्राम से होते हुए जाती है। इस बिंदु से रेखा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ चरम बिंदु से 1.0 किलोमीटर की समानान्तर दूरी बनाकर अरकेरे और दोदकबली ग्रामों से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ चरम बिंदु से 100 मीटर की समानान्तर दूरी बनाकर गरालापुरा ग्राम से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ चरम बिंदु से 1.0 किलोमीटर की समानान्तर दूरी बनाकर केब्बेलहल्ली, नारायनपुरा, बेकुप्पे, केरेलेल्लुसंद्रा, चकनाहल्ली, मवाथुर, बचोलहल्लीदोद्दी, मनियामबल, देवराहल्ली, लिंगानापुरा, भीमासंद्रा, दोद्दामारालावादी, यालाछोवादी, कथारीनाथा, कल्लानाकुप्पे, कलानागुण्डी, थाटेकेरे, बिलागानागुप्पे, गोदुरु, अत्तीगुप्पे, गुल्लाहात्ती कवल, जक्कासंद्रा, गोत्तीगेहल्ली, वद्दारापल्या, तत्गुप्पे, तरालु, गुलाकामले से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ चरम बिंदु से 100 मीटर की समानान्तर दूरी बनाकर बुथानाहल्ली और बिलवाराद्दहल्ली ग्रामों से होते हुए जाती है और आरंभिक बिंदु पहुँचती है।

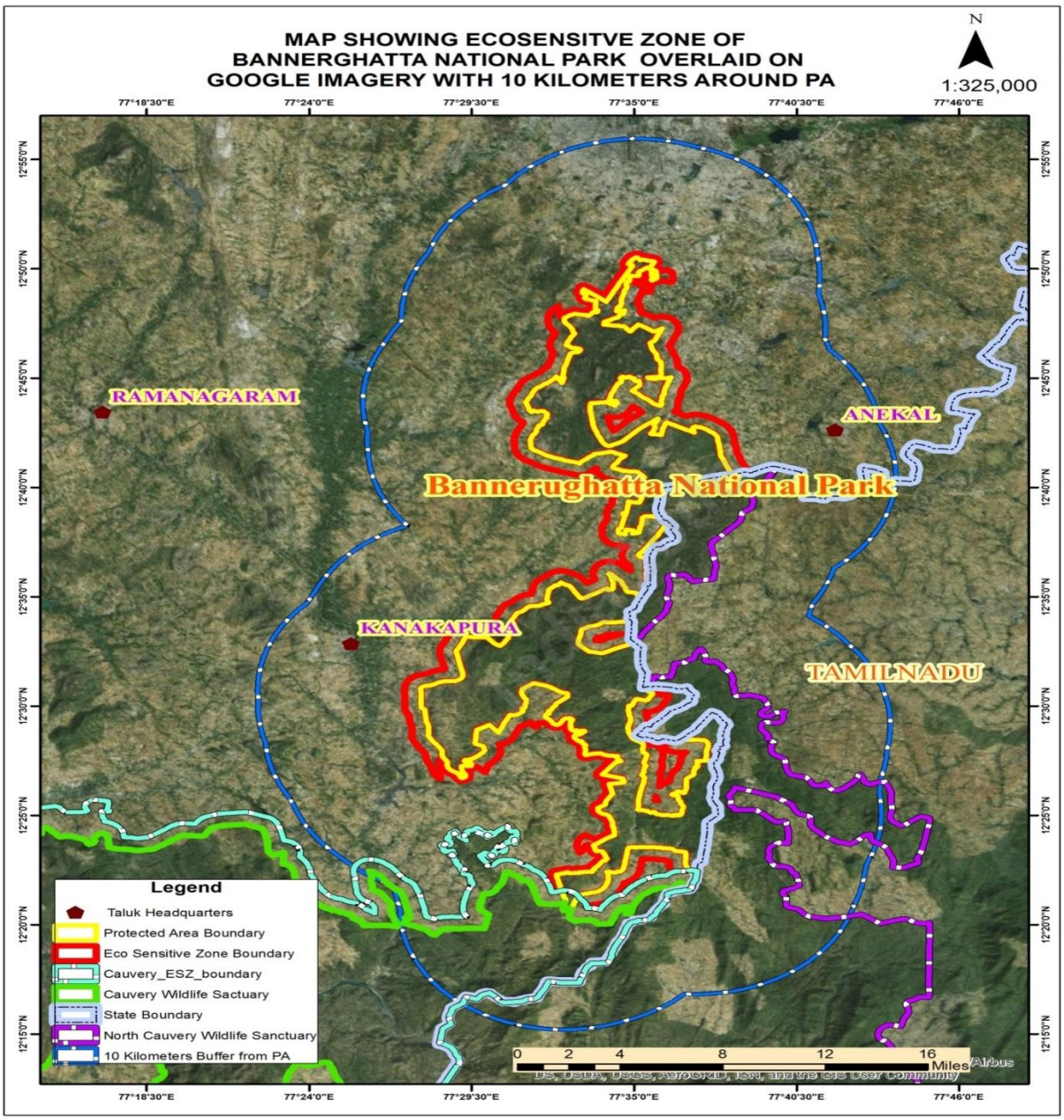
उपाबंध-IIक

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान का अवस्थान मानचित्र



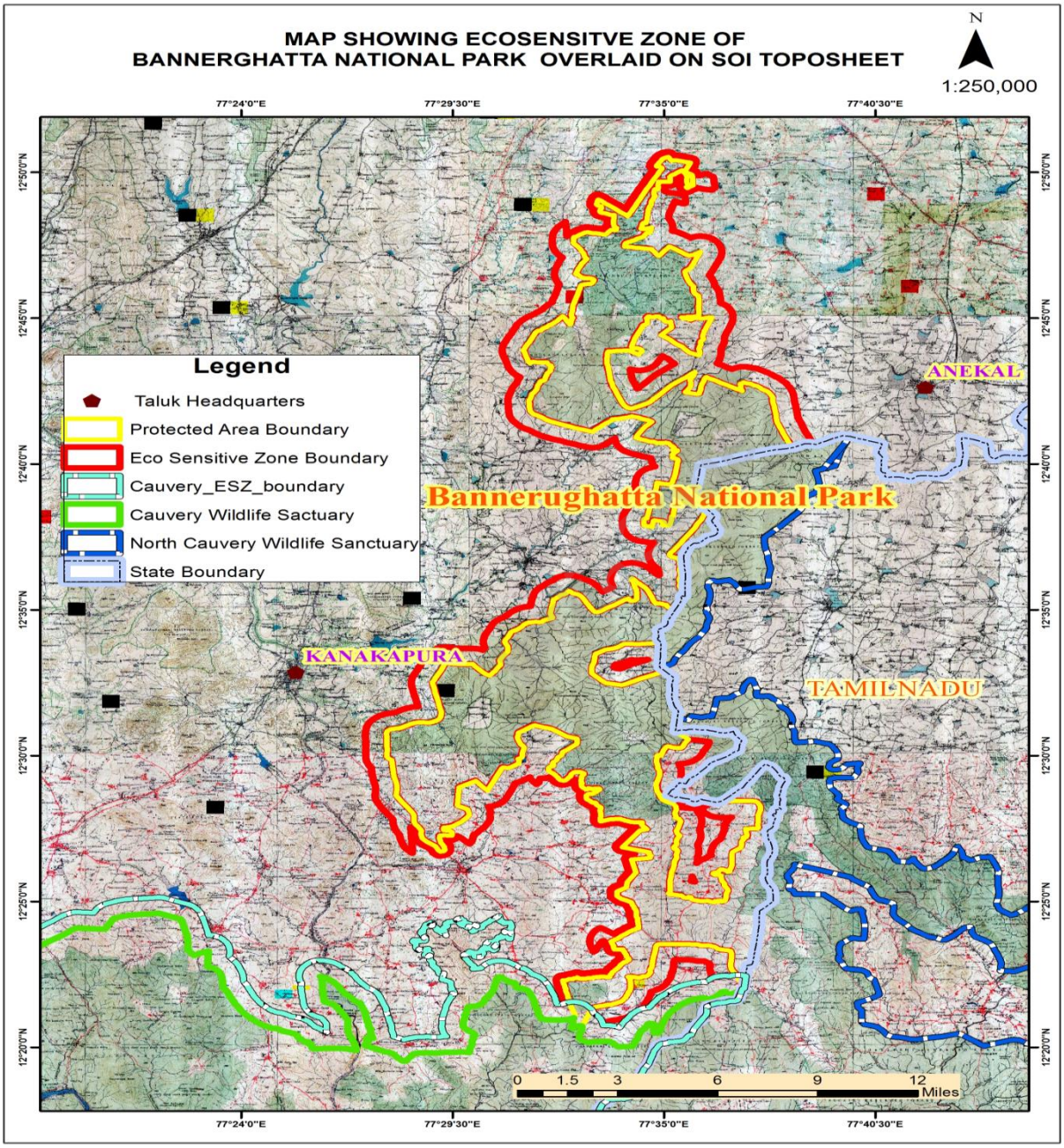
उपाबंध-IIख

बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर 10 किलोमीटर बफर सीमा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



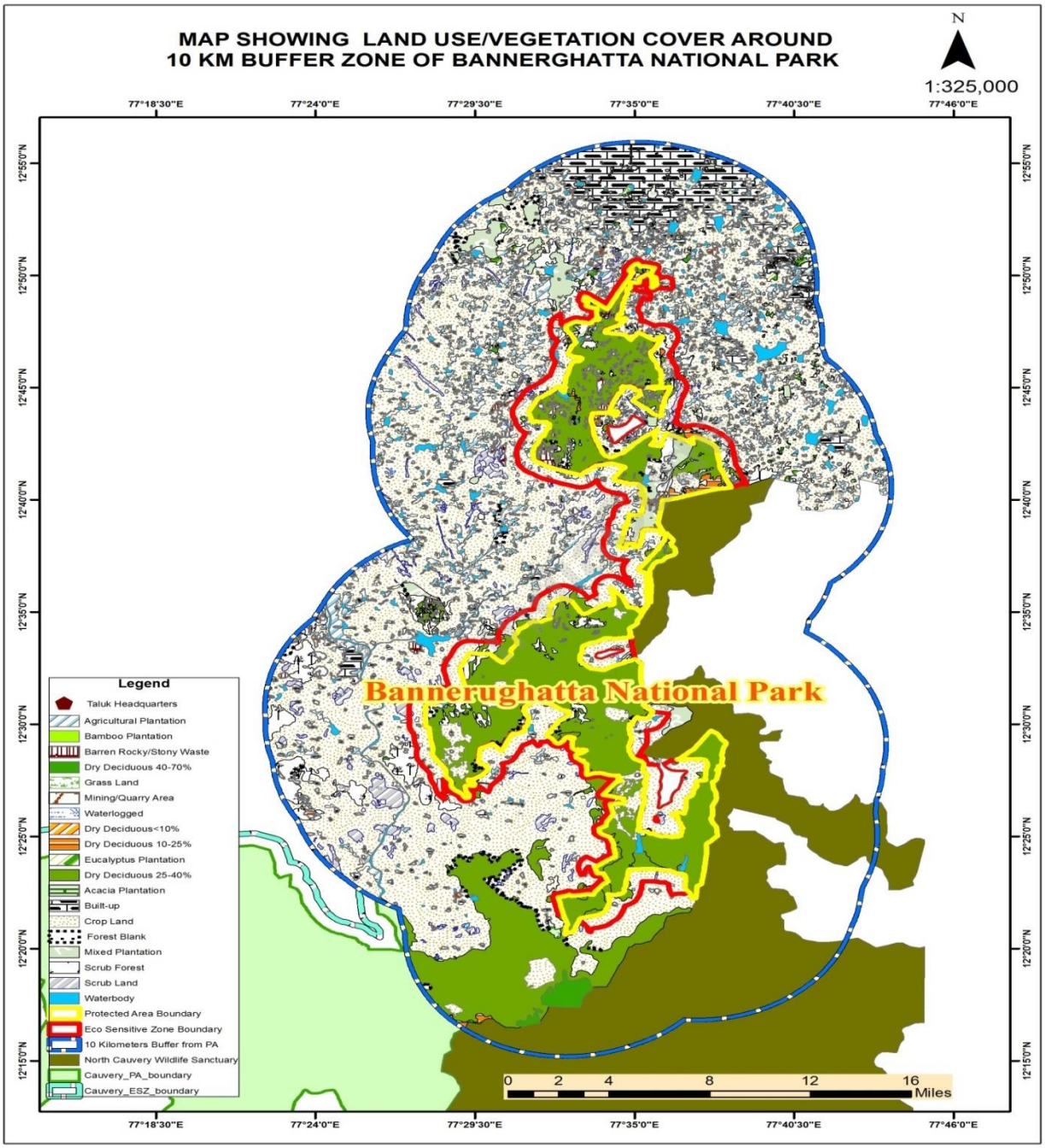
उपाबंध-IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



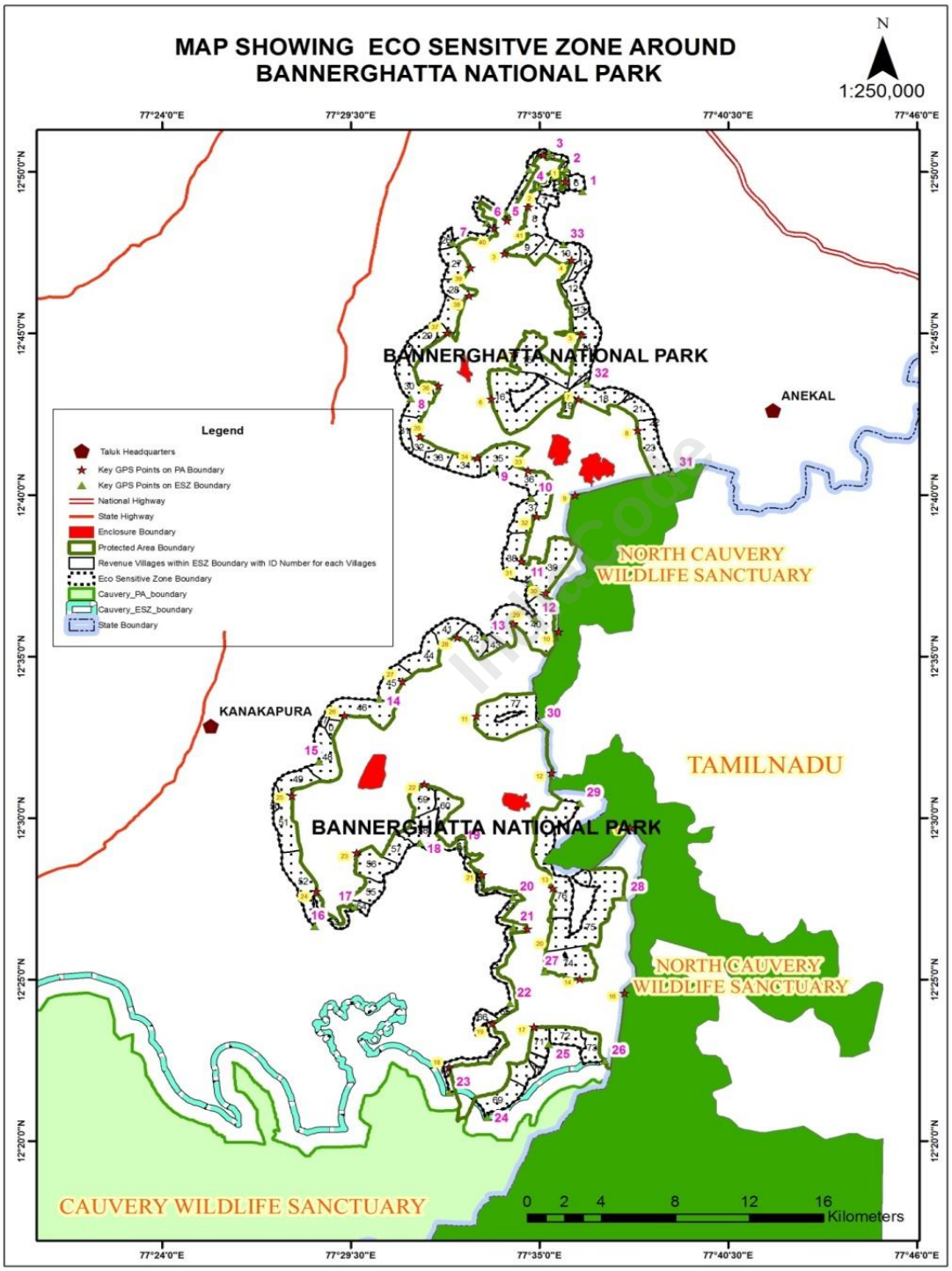
उपाबंध-IIघ

बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के 10 किलोमीटर बफर और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाला मानचित्र



उपाबंध-IIङ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाला मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

मानचित्र आई डी	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	12	49	42.6	77	35	45.13
2	12	48	54.86	77	34	40.22
3	12	47	27.78	77	33	58.93
4	12	47	16.19	77	35	56.47
5	12	44	57.3	77	36	13.18
6	12	44	22.31	77	34	15.67
7	12	42	58.07	77	33	35.71
8	12	42	57.71	77	36	8.71
9	12	42	0.11	77	37	52.03
10	12	39	59.47	77	36	2.52
11	12	35	45.96	77	35	33.76
12	12	33	9.36	77	33	10.01
13	12	31	23.48	77	35	21.55
14	12	27	49.18	77	35	23.28
15	12	25	0.3	77	36	10.55
16	12	29	42.07	77	37	38.64
17	12	24	34.52	77	37	28.63
18	12	23	31.67	77	34	50.59
19	12	22	17.08	77	32	22.09
20	12	23	37.79	77	33	37.15
21	12	26	33.9	77	34	39.22
22	12	28	14.56	77	33	19.3
23	12	31	2.03	77	31	38.93
24	12	28	54.95	77	29	40.27
25	12	27	43.88	77	28	29.71
26	12	30	41.15	77	27	47.23
27	12	33	10.55	77	29	19.03
28	12	34	13.4	77	31	0.3
29	12	35	34.94	77	32	36.46
30	12	36	1.19	77	34	14.23
31	12	37	56.6	77	34	28.27
32	12	39	19.91	77	34	55.27

IndiaCode

33	12	40	45.59	77	34	40.01
34	12	41	8.38	77	33	10.87
35	12	41	48.23	77	31	31.15
36	12	43	22.91	77	32	3.05
37	12	45	0.68	77	32	18.71
38	12	46	9.95	77	32	56.83
39	12	47	1.86	77	32	59.35
40	12	48	15.62	77	33	41.62
41	12	48	29.56	77	34	3.54
42	12	50	31.52	77	35	6.68

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

मानचित्र आई डी	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	12	49	23.89	77	36	15.51
2	12	50	5.46	77	35	46.69
3	12	50	35.74	77	35	16.7
4	12	50	4.5	77	34	42.28
5	12	48	45.28	77	33	59.54
6	12	48	25.89	77	33	27.85
7	12	47	48.33	77	32	28.48
8	12	42	58.93	77	31	14.96
9	12	40	50.4	77	33	40.22
10	12	39	54.15	77	34	45.77
11	12	37	16.5	77	34	43.62
12	12	36	10.56	77	34	52.09
13	12	35	37.23	77	33	23.79
14	12	33	41.39	77	30	19.88
15	12	31	44.44	77	28	34.66
16	12	26	38.85	77	28	26.84
17	12	27	14.43	77	29	37.61
18	12	29	13.07	77	31	31.25
19	12	29	7.62	77	32	39.79
20	12	27	32.67	77	34	13.82
21	12	26	37.5	77	34	14.36
22	12	24	15.34	77	34	8.85
23	12	21	29.27	77	32	22.54
24	12	20	43.95	77	33	28.93

IndiaCode

25	12	22	59.62	77	35	16.53
26	12	22	28.28	77	36	54.84
27	12	25	14.26	77	35	9.66
28	12	27	32.14	77	37	27.54
29	12	30	27.39	77	36	10.5
30	12	32	54.7	77	35	1.02
31	12	40	41.19	77	38	52.24
32	12	43	26.12	77	36	24.5
33	12	47	45.25	77	35	41.87
34	12	49	31.4	77	35	0.45
35	12	49	51.62	77	35	25.18

उपाबंध-IV

क: बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की बाहरी सीमा के अंतर्गत स्थित वन संलग्न ग्रामों की सूची

क्र. सं.	**ग्राम के नाम**	**विस्तार**	**तालुक**	**जिला**
1	हक्कीपिक्की कॉलोनी	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
2	गुल्लाट्टीदोद्दी	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
3	कनानारे	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
4	शिवपुरा	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
5	चुधाल्ली	संपूर्ण ग्राम	अनेकल	बैंगलोर शहरी
6	उक्काडा	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
7	यातवनात्तादोद्दी	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
8	बेत्तागनादोद्दी	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
9	सुंदागट्टा	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
10	चिक्काबेत्ताहल्ली	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
11	दोद्दाबेत्ताहल्ली	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
12	बेत्ताहल्लीयारागादु	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
13	बरैयानादोद्दी	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
14	अज्जीमाडु	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
15	दुर्गानादोद्दी	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
16	कलागौदाहल्ली	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा

IndiaCode

ख. भू-निर्देशांकों के साथ बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

मानचित्र आई डी	ग्राम के नाम	बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई	तालुक	जिला	विस्तार (हेक्टेयर.)	अक्षांश (डिग्री, मिनट, सेकेण्ड)			देशांतर (डिग्री, मिनट, सेकेण्ड)		
1	पिलीगनाहल्ली	100 मीटर	बैंगलोर दक्षिण	बैंगलोर शहरी	21.76	12	32	25.6	77	29	77
2	गोट्टीगेरे	100 मीटर	बैंगलोर दक्षिण	बैंगलोर शहरी	17.52	12	50	26.3	77	34	77
3	बसवानपुर	100 मीटर	बैंगलोर दक्षिण	बैंगलोर शहरी	32.17	12	50	32.2	77	35	77
4	होम्मादेवनाहल्ली	100 मीटर	बैंगलोर दक्षिण	बैंगलोर शहरी	38.98	12	50	27.4	77	35	77
5	कालकेरे	100 मीटर	अनेकल	बैंगलोर शहरी	87.51	12	50	11.2	77	35	77
6	वदेराहल्ली	1.0 किलोमीटर	अनेकल	बैंगलोर शहरी	72.42	12	49	41.5	77	35	77
7	गोल्लाहल्ली	1.0 किलोमीटर	अनेकल	बैंगलोर शहरी	63.44	12	49	39.8	77	36	77
8	बनेरघट्टा	1.0 किलोमीटर	अनेकल	बैंगलोर शहरी	335.27	12	49	6.49	77	35	77
9	बायराप्पनाहल्ली	1.0 किलोमीटर	अनेकल	बैंगलोर शहरी	135.04	12	48	20	77	34	77
10	मनतापा	1.0 किलोमीटर	अनेकल	बैंगलोर शहरी	206.14	12	47	41.8	77	34	77
11	बेगीहल्ली	1.0 किलोमीटर	अनेकल	बैंगलोर शहरी	97.19	12	47	24	77	35	77
12	बुक्कासंदरा	1.0 किलोमीटर	अनेकल	बैंगलोर शहरी	163.62	12	47	11.5	77	36	77
13	कल्लाबालु	1.0 किलोमीटर	अनेकल	बैंगलोर शहरी	58.4	12	46	23.6	77	36	77
14	महान्तालिंगापुर	1.0 किलोमीटर	अनेकल	बैंगलोर शहरी	416.23	12	45	44.1	77	36	77
15	रगिहल्ली	1.0 किलोमीटर	अनेकल	बैंगलोर शहरी	432.07	12	44	35.7	77	36	77
16	सिवानाहल्ली	1.0 किलोमीटर	अनेकल	बैंगलोर शहरी	816.80	12	44	10.5	77	34	77
17	कदुजक्कनाहल्ली	1.0 किलोमीटर	अनेकल	बैंगलोर शहरी	22.29	12	43	2.08	77	34	77
18	बग्गनादोद्दी	1.0 किलोमीटर	अनेकल	बैंगलोर शहरी	302.92	12	43	36.4	77	36	77
19	थाट्टेकेरे	1.0 किलोमीटर	अनेकल	बैंगलोर शहरी	69.86	12	43	4.74	77	36	77
20	इंदलावदी	1.0 किलोमीटर	अनेकल	बैंगलोर शहरी	13.73	12	42	45	77	35	77
21	इंदलावदीपुरा	1.0 किलोमीटर	अनेकल	बैंगलोर शहरी	156.59	12	43	1.96	77	37	77
22	चिक्का होसाहल्ली	1.0 किलोमीटर	अनेकल	बैंगलोर शहरी	4.5	12	42	39.9	77	37	77
23	तम्मानयाकनाहल्ली	1.0 किलोमीटर	अनेकल	बैंगलोर शहरी	321.59	12	42	15	77	38	77
24	बिलबारादाहल्ली	100 मीटर	अनेकल	बैंगलोर शहरी	145.97	12	41	27.8	77	38	77
25	बुथानाहल्ली	100 मीटर	अनेकल	बैंगलोर शहरी	163.66	12	49	20.7	77	34	77
26	गुलकामले	1.0 किलोमीटर	बैंगलोर दक्षिण	बैंगलोर शहरी	60.09	12	48	19.4	77	33	77
27	तरालु	1.0 किलोमीटर	बैंगलोर दक्षिण	बैंगलोर शहरी	208.48	12	47	53.5	77	32	77
28	तातगुप्पे	1.0 किलोमीटर	बैंगलोर दक्षिण	बैंगलोर शहरी	137.32	12	47	9.42	77	32	77
29	वद्दारा पालया	1.0 किलोमीटर	बैंगलोर दक्षिण	बैंगलोर शहरी	387.81	12	45	51.62	77	32	77
30	गोत्तीगेहाल्ली	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	396.78	12	43	22.2	77	31	17.2
31	जक्कासंदरा	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	130.04	12	41	59.5	77	31	10.5
32	गुल्लातीकवाल	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	218.64	12	42	36.9	77	31	41.2
33	अत्तीगुप्पे	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	119.81	12	41	9	77	32	3.43
34	गोदुरु	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	172.36	12	40	54.6	77	32	49.7
35	बिलागनागुप्पे	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	313.03	12	41	7.81	77	33	53
36	तत्तेकेरे	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	236.38	12	40	29	77	34	39.6
37	कोलालागुनदी	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	317.84	12	39	29.5	77	34	44.8
38	कल्लानाकुप्पे	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	344.6	12	38	2.37	77	34	23.3
39	कथारीनाथा	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	453.16	12	37	45.4	77	35	19.4

40	यलाचवदी	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	734.81	12	35	59.8	77	34	38
41	दोद्दामनालवदी	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	153.56	12	35	50	77	32	20.2
42	भीमासंदरा	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	175.5	12	35	31.9	77	33	4
43	लिंगनापुरा	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	76.8	12	35	20.9	77	33	35
44	देवराहल्ली	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	278.03	12	35	1.18	77	31	37.2
45	मनीयाम्बाल	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	212.91	12	34	10.8	77	30	43
46	बचोललहल्लीदोद्दी	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	398.48	12	33	20.2	77	29	51.7
47	मवाथुर	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	32.87	12	33	4.1	77	28	44.7
48	चकनाहल्ली	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	325.72	12	31	53.1	77	28	45.5
49	केरेलाल्लुसंदरा	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	201.88	12	31	9.22	77	27	53.7
50	बेकुप्पे	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	13.65	12	30	21.7	77	27	18
51	नरायानापुरा	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	336.16	12	29	51.5	77	27	35.6
52	केब्बेहल्ली	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	360.74	12	28	1.83	77	28	2.37
53	गरलापुरा	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	129.86	12	27	2.9	77	29	1.04
54	दोदकाबल्ली	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	49.13	12	27	15.7	77	29	47.3
55	अरकेरे	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	163.39	12	27	42.3	77	30	1.23
56	दोद्दागुली	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	278.41	12	28	32.6	77	30	9.28
57	हलासुरु	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	153.71	12	29	2.53	77	30	50.8
58	हंचागुली	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	284.82	12	29	38.3	77	31	35.3
59	केब्बरे	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	187.52	12	30	32.6	77	31	35.7
60	केनगालनात्ता गोल्लाहल्ली	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	235.89	12	29	52.2	77	32	29.3
61	हेरान्दीअपानहल्ली	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	100.32	12	28	54.1	77	32	39.7
62	तिप्पुरु	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	54.66	12	27	44.4	77	33	40.2
63	बिजहल्ली	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	57.7	12	27	16.9	77	34	8.4
64	बोम्मासंदरा	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	150.47	12	26	14.7	77	34	6.15
65	होसादुरगा	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	118.97	12	24	32.1	77	34	0.73
66	अनेकादाबुरु	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	92.4	12	23	44.7	77	33	20.8
67	सलबन्नी	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	106.56	12	23	0.21	77	33	38.8
68	गुद्देवीरानाहोसाहल्ली	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	102.13	12	22	13.1	77	32	34.1
69	बन्नीमुकोदलु	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	256.34	12	21	20.1	77	33	52.2
70	बलागोंदाना हल्ली	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	23.12	12	22	13.4	77	34	53.8
71	टट्टेकेरे	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	303.16	12	22	37.5	77	34	45
72	हुनसनाहल्ली	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	236.28	12	23	3.57	77	35	36.4
73	गंगोनाहल्ली	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	162.07	12	22	53.3	77	36	29.9
74	बिज्जाहल्ली	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	391.33	12	25	30.1	77	35	55.5
75	कोलागोन्दानाहल्ली	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	830.16	12	27	5.61	77	36	26.8
76	गट्टीगुन्दा	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	764.45	12	28	38.2	77	35	35.1
77	तेरुबीधि	1.0 किलोमीटर	कनकपुरा	रामानगरा	658.49	12	33	10.6	77	33	59.1
	कुल				**16884.46**						

indiacode

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2020

S.O.1036(E).—WHEREAS, a draft re-notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 5639(E), dated the 30th October, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 30th October 2018;

AND WHEREAS, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification and were duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, Bannerghatta National Park lies between the 12°34’ and 12°50’ N latitudes and between 77°31’ and 77°38’ E longitudes and spread over an area of 260.51 square kilometres;

AND WHEREAS, Bannerghatta National Park, is situated in south-eastern corner of the state of Karnataka and borders with Cauvery Wildlife Sanctuary in the South; the Sanctuary also bordered with Thali, Thali Extension and Javalagiri Reserved Forests of Tamil Nadu on its south-eastern boundaries that form a contiguous Wildlife Habitat of nearly 1400 square kilometers with the pockets of intact prime habitat for elephants and other wildlife species;

AND WHEREAS, Bannerghatta National Park as a terminal point on the northern side of “Mysore Elephant Reserve” which inhabits large Asian elephants migrate from adjacent Thali Reserve Forest of Tamil Nadu contiguous with Cauvery Wildlife Sanctuary and the area has high faunal and floral diversity;

AND WHEREAS, Bannerghatta National Park has breeding population of elephants and also supports leopard, wild dogs, gaur, sambar, chital, sloth bear, slender loris, oriental white rumped vulture, long-billed vulture, yellow throated bulbul and other important wildlife species;

AND WHEREAS, the areas of Bannerghatta National Park are covered by dry deciduous and scrub forests with riverine and moist deciduous habitat in the valleys; the main vegetative species in the areas of Bannerghatta National Park includes *Anogeissus latifolia, Acacia catechu, Acacia eucopholea, Tectona grandis, Santalum album, Shorea talura, Azadirachta indica, Terminalia paniculata, Terminalia chebula, Terminalia tomentosa, Dalbergia latifolia, Lagerstromia lanceolata, Ziziphus jujuba, Dendrocalamus strictus*, etc.;

AND WHEREAS, rare, endangered and threatened species of flora found in Bannerghatta National Park are Kaggali (*Acacia catechu*), Dindiga (*Anogeissus latifolia*), Muthuga (*Butea monosperma*), Urugalu (*Chloroxylon swietenia*), Beete (*Dalbergia latifolia*), Kamara (*Hardiwikia binata,* Honne (*Pterocarpus marsupium),* Shrigandha (*Santalum album),* Sagade *(Schleichera oleosa),* Matti (*Terminalia paniculata*), Tare (*Terminalia bellerica*), Aale *(Wrightia tinctoria),* Jalari (*Shorea roxburghii),* Maavu (*Mangifera indica,* Dhoopa (*Boswellia serrate),* etc.

AND WHEREAS, rare, endangered and threatened species of mammals and reptiles found in Bannerghatta National Park are tiger (*Panthera tigris*), leopard (*Panthera pardus*), Indian wild dog or dhole (*Cuonal pinus*), golden jackal (*Canis aureus*), striped hyena (*Hyaena hyaena*), sloth bear (*Melursus ursinus*), jungle cat *(Felis chaus*), rusty-spotted cat (*Prionailurus rubiginosus*), honey badger (*Mellivora capensis*), Indian porcupine (*Hystrix indica*), Indian pangolin (*Manis crassicaudata*), small Indian civet (*Viverricula indica*), common palm civet (*Paradoxurus hermaphroditus*), ruddy managoose (*Herpestes smithii*), grey mongoose (*Herpestes edwardsii*), Asian elephant (*Elephas maximus*), gaur (*Bosgaurus*), sambar (*Rusa unicolor*), chital (*Axis axis*), four horned antelope (*Tetracerus quadricornis*), blackbuck (*Antilope cervicapra*), Wild pig *(Susscrofa*), Indian muntjac (*Muntiacus muntjak*), Indian spotted chevrotain (*Moschiola indica*), southern plains grey langur (*Semnopithecus dussumieri*), Bonnet macaque (*Macaca radiata*), black naped hare (*Lepus nigricollis*), Indian giant flying squirrel (*Petaurista philippensis*), madras tree shrew (*Anathana ellioti*), marsh crocodile (*Crocodylus palustris*), Indian monitor lizard (*Varanus bengalensis*), Indian fox (*Vulpes bengalensis*), brown mongoose (*Herpestes fuscus*), etc.;

AND WHEREAS, rare, endangered and threatened species of birds found in the Bannerghatta National Park are oriental white-backed vulture (*Gyps bengalensis*), greater spotted eagle (*Clanga clanga*), long-billed vulture (*Gyps indicus*),Nilgiri wood pigeon (*Columba elphinstonii*), yellow-throated bulbul (*Pycnonotus xantholaemus*), white-bellied blue-flycatcher (*Cyornis pallipes*), etc.;

AND WHEREAS, Bannerghatta National Park is an important watershed area for the river Arkavathi, Suvarnamukhi, Muthyalamadavu hole, Rayathmala hole, Hebbalahalla and Antharagange that joins the river Cauvery;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1, around the protected area of the Bannerghatta National Park as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 100 meters to 1.0 kilometer around the boundary of Bannerghatta National Park, in Bengaluru and Ramanagara districts in the State of Karnataka as the Bannerghatta National Park Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 100 meters to 1.0 kilometer around the boundary of the Bannerghatta National Park and the area of the Eco-sensitive Zone is 168.84 square kilometres.

(2) The boundary description of Bannerghatta National Park and its Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-I.**

(3) The maps of the Bannerghatta National Park demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC**, **Annexure-IID** and **Annexure-IIE.**

(4) List of geo-coordinates of the boundary of Bannerghatta National Park and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

(5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department;

(xii) Highways; and

(xiii) Karnataka State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands,

green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified in clause (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as -

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within the Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016,

published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.– Bio-medical waste management shall be as under:-

(a) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(b) safe and Environmentally Sound Management of bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporates and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
14.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated, for commercial purpose, under applicable laws.

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
20.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
21.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
22.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated as per applicable laws and the activity shall be strictly monitored by the concerned authority.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for monitoring Eco-sensitive Zone notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituents of Monitoring Committee	Designation
(i)	Regional Commissioner, Bengaluru	Chairman, ex officio
(ii)	Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka	Member;
(iii)	Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka	Member;

(iv)	Representative of Non-Governmental Organisations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Karnataka	Member;
(v)	The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysuru	Member;
(vi)	An expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka	Member;
(vii)	An expert in Biodiversity to be nominated by the State Government	Member;
(viii)	Deputy Commissioner or his representative, Bangalore Urban District	Member;
(ix)	Deputy Commissioner or his representative, Ramanagara District	Member;
(x)	The Deputy Conservator of Forests, Bannerghatta National Park, Bengaluru	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Monitoring Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended as Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.-The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to the provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders.-The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/12 /16-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

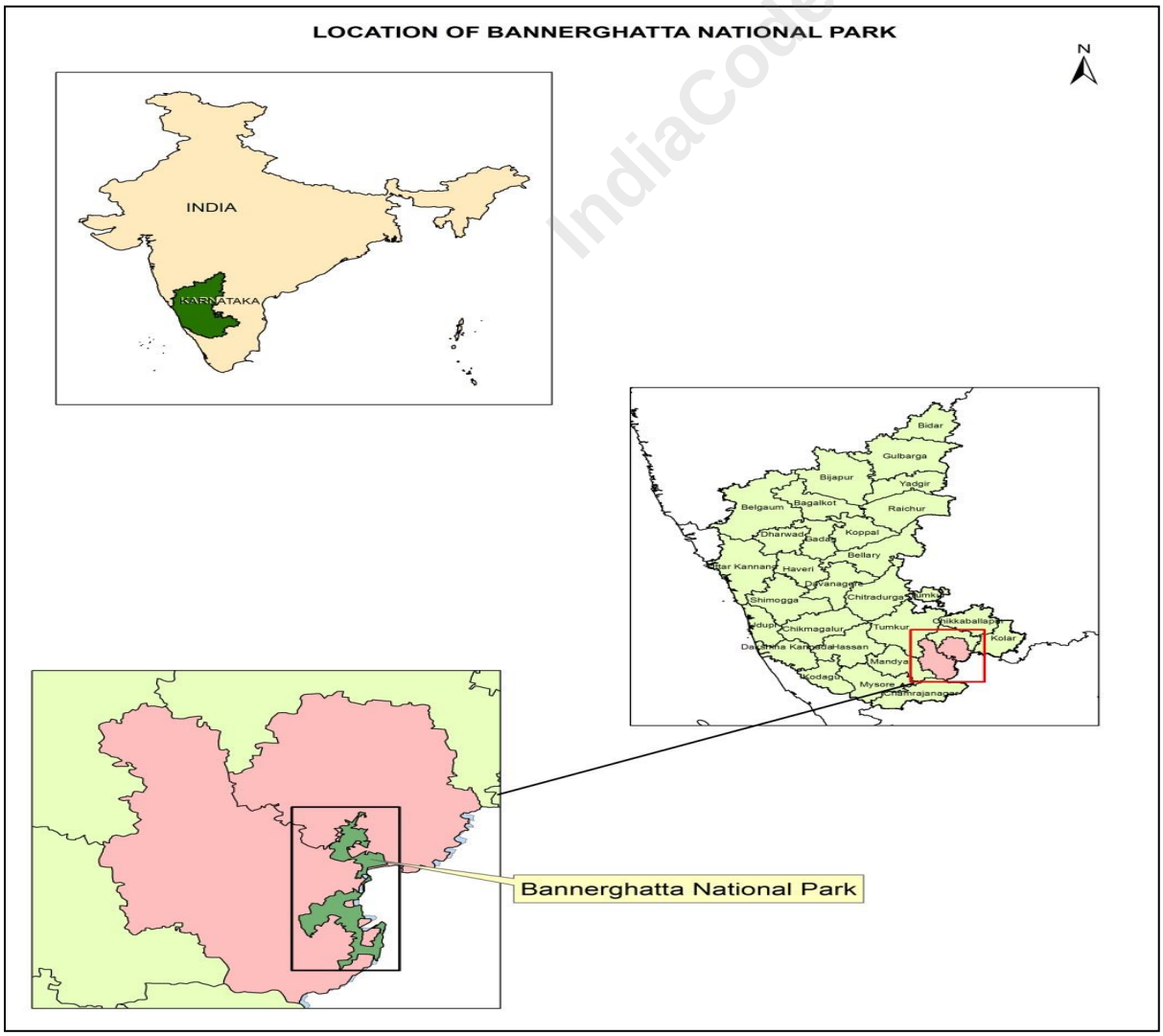
BOUNDARY DESCRIPTION OF ECOSENSITIVE ZONE AROUND BANNERGHATTA NATIONAL PARK IN THE STATE KARNATAKA

North	The boundary of Eco Sensitive Zone of Bannerghatta National Park starts at a point with GPS location 12.844 N, 77.584 E located at distance of 100 m from the northern most boundary of Bannerghatta National Park on Pillaganahalli Village. The boundary then moves eastwards maintaining a parallel distance of 100 mtrs along the boundary of Bannerghatta National Park through Pillganahalli, Gottigere, Basavanpura, Hommadevanahalli and Kalkere villages.
East	Then it runs southwards maintaining a parallel distance of 1.0 Kilometre from the extreme points along the Bannerghatta National Park boundary through Vaderahalli, Gollahalli, Bannerghatta, Byrappanahalli, Mantapa, Begihalli, Bukkasandra, Kallabalu, Mahalingapura, Ragihalli, Sivanahalli, Kadujakkanahalli, Bagganadoddi, Thattekere, Indlavadi, Indlavadipura, ChikkaHosahalli, Tammanayakanahalli villages till it reaches a point on the interstate boundary of Karnataka and Tamilnadu with co-ordinates N 12^0 40` 41.19`` E $77^0$ 38` 32.24``. Then the line runs southwards along the interstate boundary till it reaches a point on the Therubeedi village boundary and further runs in southward direction along the interstate boundary till it reaches the Gattigunda village. From this point the line runs southwards maintaining parallel distance of 1.0 Kilometer from the extreme points along the Bannerghatta National Park boundary through Gattigunda, Bijjahalli, Kolagondanahalli villages till it reaches the interstate boundary and further runs along the interstate boundary until it reaches the Gattigunda village.
South	From the above point the boundary starts runs southwards, eastwards maintaining a parallel distance of 1.0 Kilometer from the extreme points along the Bannerghatta National Park boundary through Ganganahalli, Hunasanahalli, Tattekere, Balagondanahalli and Bannimukodlu villages till it reaches a common point on the Eco-sensitive Zone boundary of Cauvery Wildlife Sanctuary and Bannerghatta National Park and further runs on the common Eco-sensitive Zone for some distance along north-eastward direction till it reaches a point with co-ordinates N 12^0 21` 41.19`` E $77^0$ 32` 22.54``on Guddeveranahosahalli village.
West	From the above pointline runs northwards maintaining a parallel distance of 100 meters from the extreme points along the Bannerghatta National Park boundary through Guddeveranahosahalli and Salbanni villages. Further, the line runs maintaining a parallel distance of 1.0 Kilometer from the extreme points along the Bannerghatta National Park boundary through Anekadaburu village and then the line runs maintaining a parallel distance of 100 meters from the extreme points along the Bannerghatta National Park boundary through Hosadurga, Bommasandra, Bijahalli, Tippuru and Herandyappanahallivillages. Then the line proceeds maintaining a parallel distance of 1.0 Kilometer from the extreme points along the Bannerghatta National Park boundary through Kengalanatta Gollahalli, Kebbre, Hanchaguli, and Kalasuru villages. Further, the line runs maintaining a parallel distance of 100 meters from the extreme points along the

	Bannerghatta National Park boundary through Doddaguli village. From this point the line runs maintaining a parallel distance of 1.0 Kilometre from the extreme points along the Bannerghatta National Park boundary through Arkere and Dodkaballi villages. Then the line runs maintaining a parallel distance of 100 meters from the extreme points along the Bannerghatta National Park boundary through Garalapura village. Then the line runs maintaining a parallel distance of 1.0 Kilometer from the extreme points along the Bannerghatta National Park boundary throughKebbehalli, Narayanapura, Bekuppe, Kerelalusandra, Chakanhalli, Mavathur, Bacholhallidoddi, Maniyambal, Devarahalli, Linganapura, Bhimasandra, Doddamaralavadi, Elachavadi, Katharinatha, Kallanakuppe, Kolalagundi, Tattekere, Bilaganaguppe, Goduru, Attiguppe, GullahattiKaval, Jakkasandra, Gottigehalli, Vaddarapalya, Tatguppe, Taralu, Gulakamale villages. Then the line runs maintaining a parallel distance of 100 meters from the extreme points along the Bannerghatta National Park boundary through Buthanahalli and Bilwaradahalli villages and reaches the starting point.

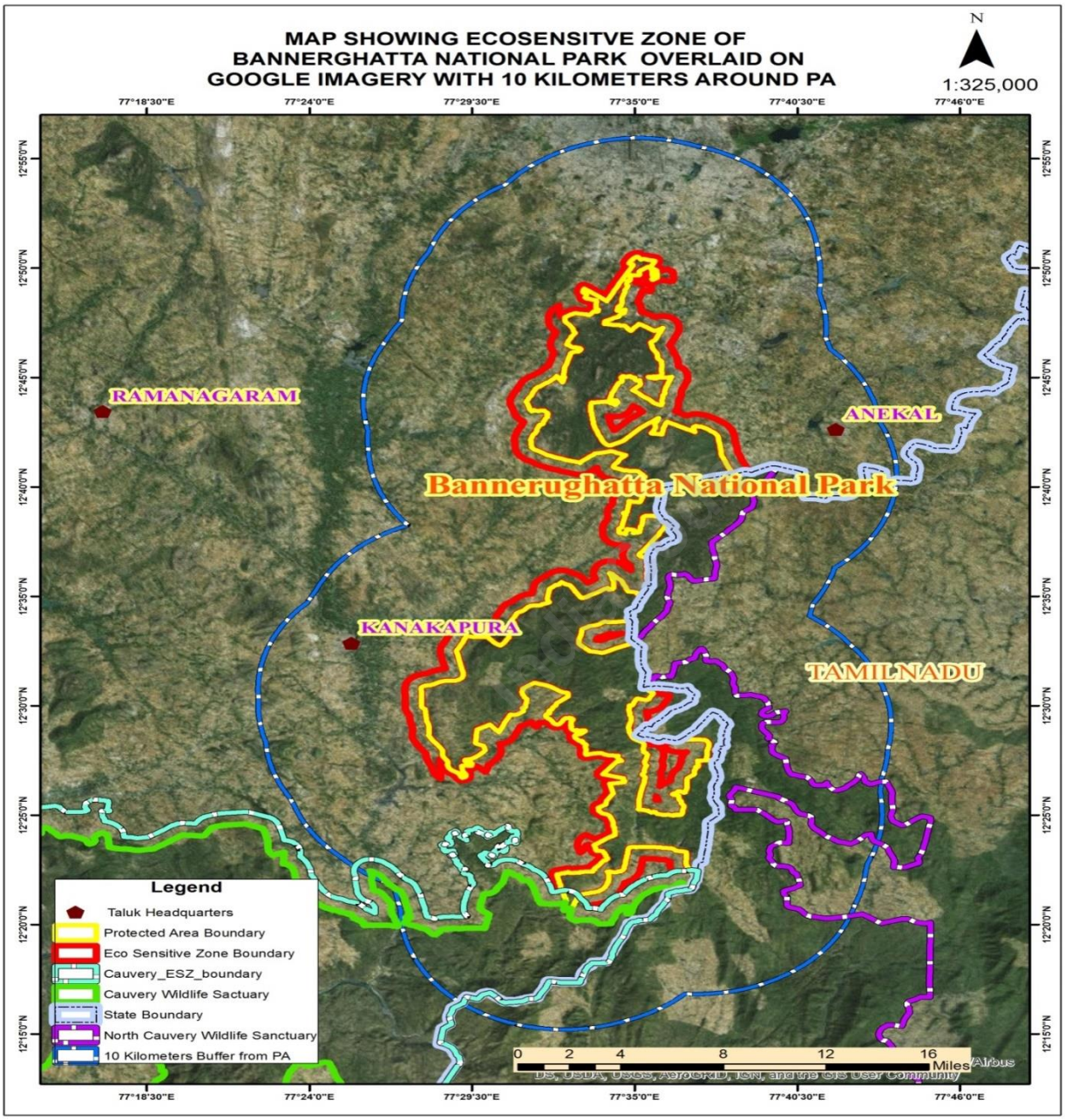
ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF BANNERGHATTA NATIONAL PARK AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



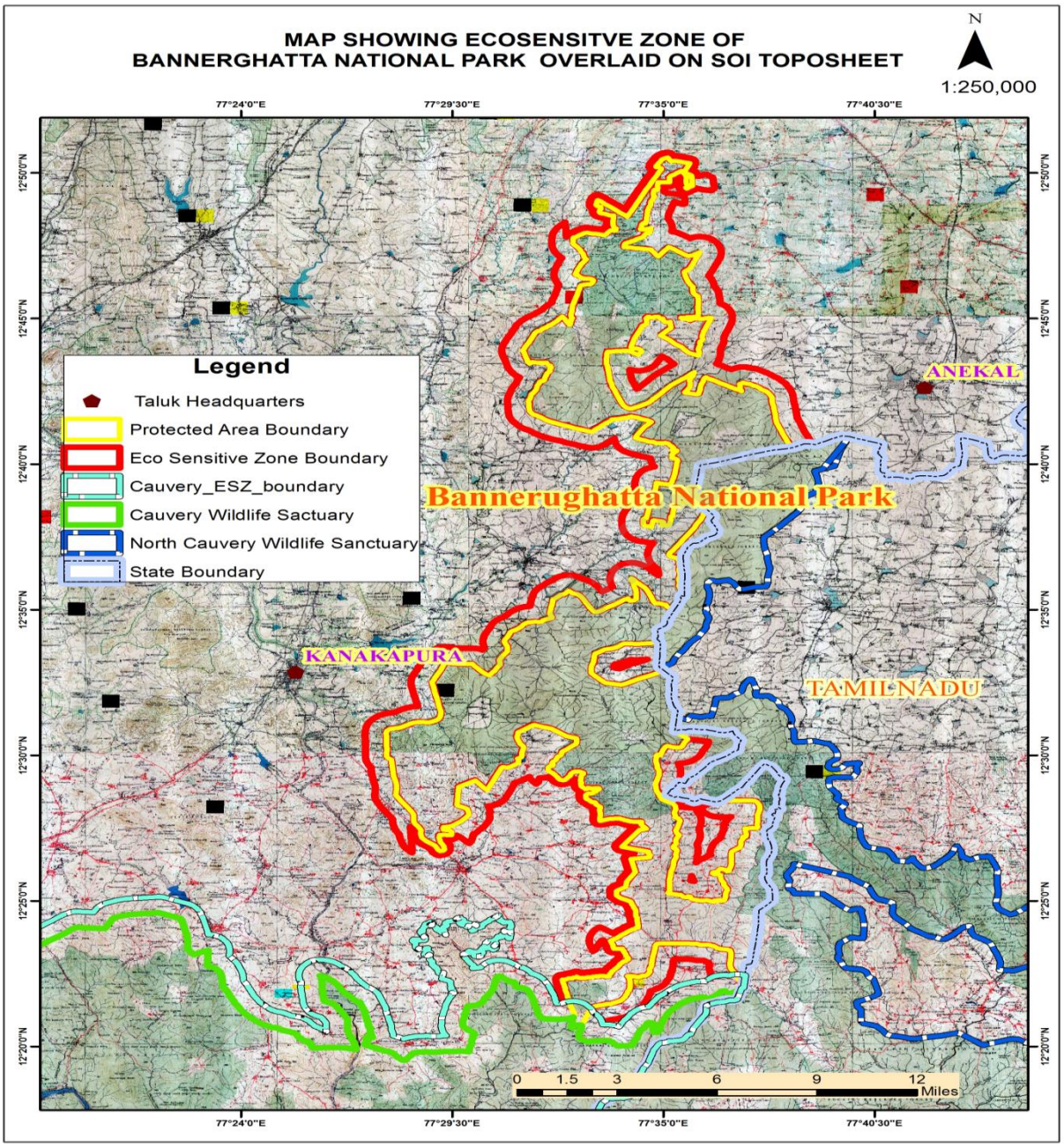
ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AND 10 KILOMETERS BUFFER BOUNDARY AROUND BANNERGHATTA NATIONAL PARK



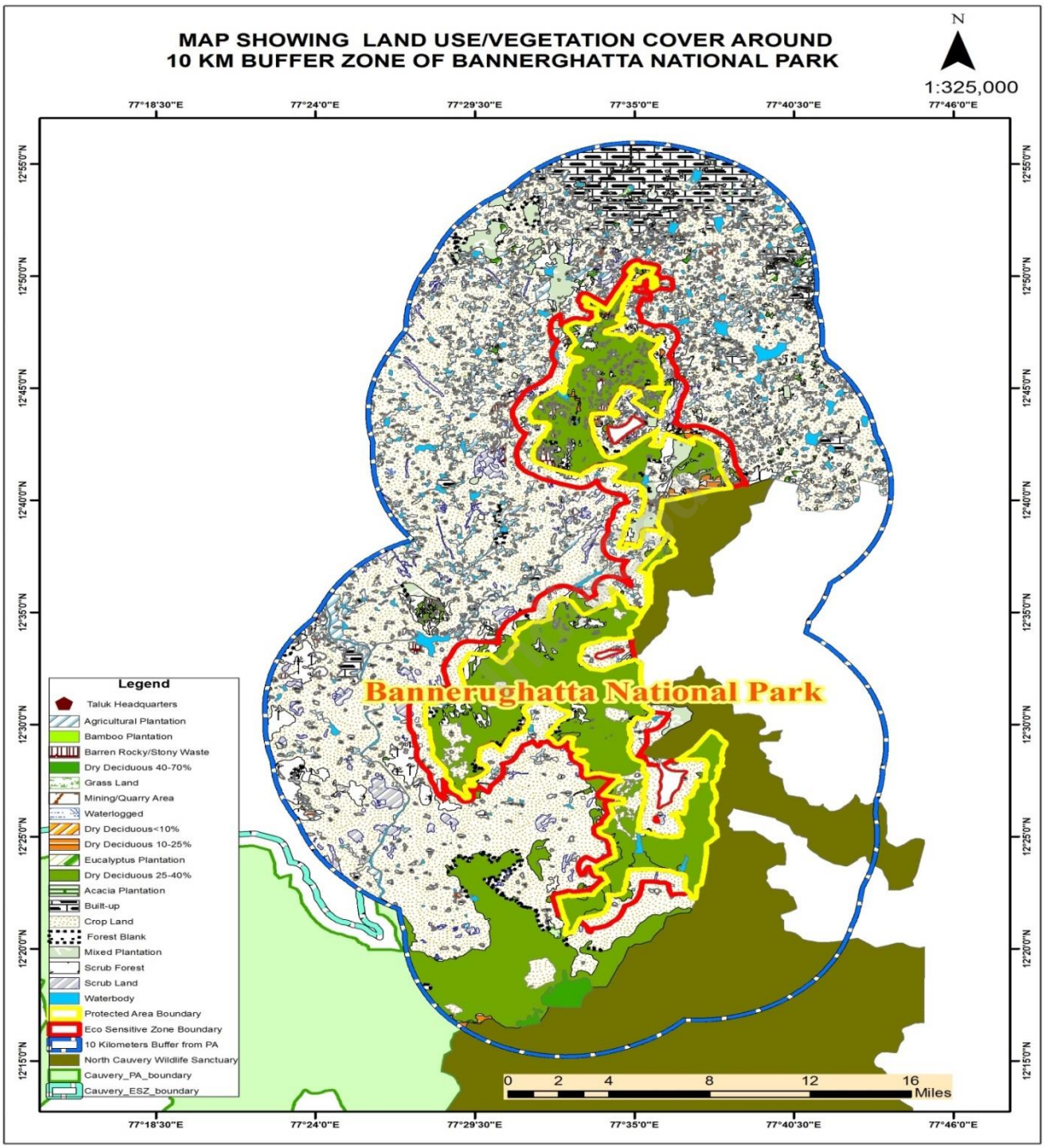
ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BANNERGHATTA NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



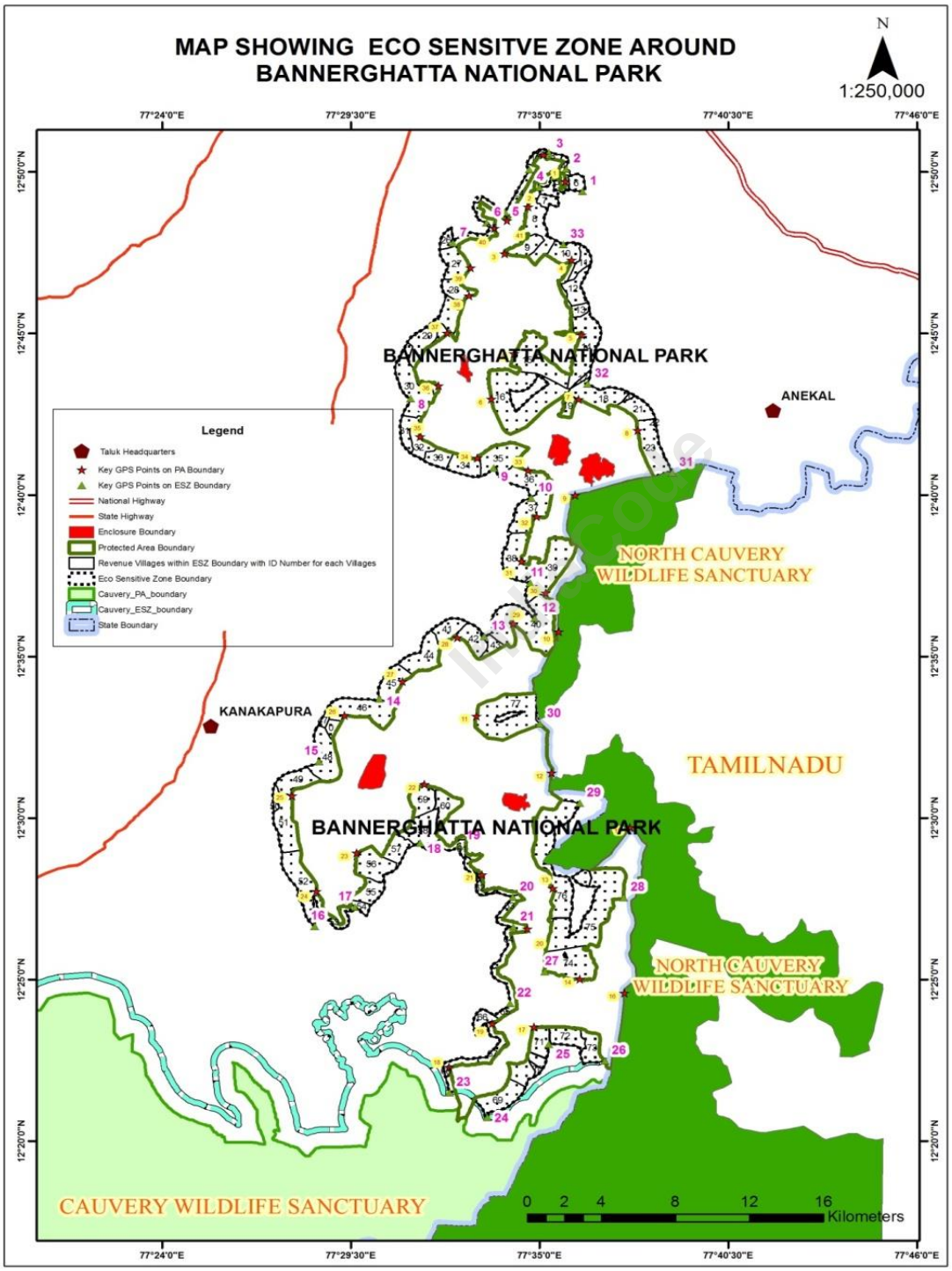
ANNEXURE- IID

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE AND 10 KILOMETERS BUFFER AROUND BANNERGHATTA NATIONAL PARK



ANNEXURE- IIE

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND BANNERGHATTA NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF BANNERGHATTA NATIONAL PARK

Map id	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	12	49	42.6	77	35	45.13
2	12	48	54.86	77	34	40.22
3	12	47	27.78	77	33	58.93
4	12	47	16.19	77	35	56.47
5	12	44	57.3	77	36	13.18
6	12	44	22.31	77	34	15.67
7	12	42	58.07	77	33	35.71
8	12	42	57.71	77	36	8.71
9	12	42	0.11	77	37	52.03
10	12	39	59.47	77	36	2.52
11	12	35	45.96	77	35	33.76
12	12	33	9.36	77	33	10.01
13	12	31	23.48	77	35	21.55
14	12	27	49.18	77	35	23.28
15	12	25	0.3	77	36	10.55
16	12	29	42.07	77	37	38.64
17	12	24	34.52	77	37	28.63
18	12	23	31.67	77	34	50.59
19	12	22	17.08	77	32	22.09
20	12	23	37.79	77	33	37.15
21	12	26	33.9	77	34	39.22
22	12	28	14.56	77	33	19.3
23	12	31	2.03	77	31	38.93
24	12	28	54.95	77	29	40.27
25	12	27	43.88	77	28	29.71
26	12	30	41.15	77	27	47.23
27	12	33	10.55	77	29	19.03
28	12	34	13.4	77	31	0.3
29	12	35	34.94	77	32	36.46
30	12	36	1.19	77	34	14.23
31	12	37	56.6	77	34	28.27
32	12	39	19.91	77	34	55.27
33	12	40	45.59	77	34	40.01
34	12	41	8.38	77	33	10.87
35	12	41	48.23	77	31	31.15
36	12	43	22.91	77	32	3.05
37	12	45	0.68	77	32	18.71
38	12	46	9.95	77	32	56.83
39	12	47	1.86	77	32	59.35
40	12	48	15.62	77	33	41.62
41	12	48	29.56	77	34	3.54
42	12	50	31.52	77	35	6.68

indiacode

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Map id	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	12	49	23.89	77	36	15.51
2	12	50	5.46	77	35	46.69
3	12	50	35.74	77	35	16.7
4	12	50	4.5	77	34	42.28
5	12	48	45.28	77	33	59.54
6	12	48	25.89	77	33	27.85
7	12	47	48.33	77	32	28.48
8	12	42	58.93	77	31	14.96
9	12	40	50.4	77	33	40.22
10	12	39	54.15	77	34	45.77
11	12	37	16.5	77	34	43.62
12	12	36	10.56	77	34	52.09
13	12	35	37.23	77	33	23.79
14	12	33	41.39	77	30	19.88
15	12	31	44.44	77	28	34.66
16	12	26	38.85	77	28	26.84
17	12	27	14.43	77	29	37.61
18	12	29	13.07	77	31	31.25
19	12	29	7.62	77	32	39.79
20	12	27	32.67	77	34	13.82
21	12	26	37.5	77	34	14.36
22	12	24	15.34	77	34	8.85
23	12	21	29.27	77	32	22.54
24	12	20	43.95	77	33	28.93
25	12	22	59.62	77	35	16.53
26	12	22	28.28	77	36	54.84
27	12	25	14.26	77	35	9.66
28	12	27	32.14	77	37	27.54
29	12	30	27.39	77	36	10.5
30	12	32	54.7	77	35	1.02
31	12	40	41.19	77	38	52.24
32	12	43	26.12	77	36	24.5
33	12	47	45.25	77	35	41.87
34	12	49	31.4	77	35	0.45
35	12	49	51.62	77	35	25.18

IndiaCode

ANNEXURE-IV

A. LIST OF FOREST ENCLOSURE VILLAGES LOCATED WITHIN THE OUTER BOUNDARY OF BANNERGHATTA NATIONAL PARK

Sl. No.	Village name	Extent	Taluk	District
1	Hakkipikki Colony	Entire village	Kanakapura	Ramanagara
2	Gullattidoddi	Entire village	Kanakapura	Ramanagara
3	Kananare	Entire village	Kanakapura	Ramanagara
4	Shivapura	Entire village	Kanakapura	Ramanagara
5	Chudhalli	Entire village	Anekal	Bangalore Urban
6	Ukkada	Entire village	Kanakapura	Ramanagara
7	Yatavanattadoddi	Entire village	Kanakpura	Ramanagara
8	Bettaganadoddi	Entire village	Kanakapura	Ramanagara
9	Sundagatta	Entire village	Kanakapura	Ramanagara
10	Chikkabettahalli	Entire village	Kanakapura	Ramanagara
11	Doddabettahalli	Entire village	Kanakapura	Ramanagara
12	Bettahalliaragadu	Entire village	Kanakapura	Ramanagara
13	Bariayanadoddi	Entire village	Kanakapura	Ramanagara
14	Ajjimadu	Entire village	Kanakapura	Ramanagara
15	Durganadoddi	Entire village	Kanakapura	Ramanagara
16	Kalagaudahalli.	Entire village	Kanakapura	Ramanagara

indiaCode

B. LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF BANNERGHATTA NATIONAL PARK ALONG WITH GEO-COORDINATES

Map id	Village name	Eco-sensitive Zone width from Bannerghatta National Park Boundary	Taluk	District	Extent (Hectare)	Latitude (Degree, Minutes Seconds)			Longitude (Degree, Minutes Seconds)		
1	Piliganahalli	100 mtr	Bangalore south	Bangalore Urban	21.76	12	32	25.6	77	29	77
2	Gottigere	100 mtr	Bangalore south	Bangalore Urban	17.52	12	50	26.3	77	34	77
3	Basavanpur	100 mtr	Bangalore south	Bangalore Urban	32.17	12	50	32.2	77	35	77
4	Hommadevanahalli	100 mtr	Bangalore south	Bangalore Urban	38.98	12	50	27.4	77	35	77
5	Kalkere	100 mtr	Anekal	Bangalore Urban	87.51	12	50	11.2	77	35	77
6	Vaderahalli	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	72.42	12	49	41.5	77	35	77
7	Gollahalli	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	63.44	12	49	39.8	77	36	77
8	Bannerghatta	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	335.27	12	49	6.49	77	35	77
9	Bairappanahalli	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	135.04	12	48	20	77	34	77
10	Mantapa	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	206.14	12	47	41.8	77	34	77
11	Begihalli	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	97.19	12	47	24	77	35	77
12	Bukkasandra	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	163.62	12	47	11.5	77	36	77

13	Kallabalu	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	58.4	12	46	23.6	77	36	77
14	Mahantalingapur	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	416.23	12	45	44.1	77	36	77
15	Ragihalli	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	432.07	12	44	35.7	77	36	77
16	Shivanahalli	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	816.80	12	44	10.5	77	34	77
17	Kadujakkanahalli	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	22.29	12	43	2.08	77	34	77
18	Bagganadoddi	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	302.92	12	43	36.4	77	36	77
19	Tattekere	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	69.86	12	43	4.74	77	36	77
20	Indlavadi	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	13.73	12	42	45	77	35	77
21	Indlavadiura	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	156.59	12	43	1.96	77	37	77
22	ChikkaHosahalli	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	4.5	12	42	39.9	77	37	77
23	Tammanayakanahalli	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	321.59	12	42	15	77	38	77
24	Bilwaradahalli	100 mtr	Anekal	Bangalore Urban	145.97	12	41	27.8	77	38	77
25	Buthanahalli	100 mtr	Anekal	Bangalore Urban	163.66	12	49	20.7	77	34	77
26	Gulakamale	1.0 Km	Bangalore south	Bangalore Urban	60.09	12	48	19.4	77	33	77
27	Taralu	1.0 Km	Bangalore south	Bangalore Urban	208.48	12	47	53.5	77	32	77
28	Tatguppe	1.0 Km	Bangalore south	Bangalore Urban	137.32	12	47	9.42	77	32	77
29	Vaddarapalya	1.0 Km	Bangalore south	Bangalore Urban	387.81	12	45	51.62	77	32	77
30	Gottigehalli	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	396.78	12	43	22.2	77	31	17.2
31	Jakkasandra	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	130.04	12	41	59.5	77	31	10.5
32	GullahattiKaval	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	218.64	12	42	36.9	77	31	41.2
33	Attiguppe	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	119.81	12	41	9	77	32	3.43
34	Goduru	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	172.36	12	40	54.6	77	32	49.7
35	Bilaganaguppe	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	313.03	12	41	7.81	77	33	53
36	Tattekere	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	236.38	12	40	29	77	34	39.6
37	Kolalagundi	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	317.84	12	39	29.5	77	34	44.8
38	Kallanakuppe	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	344.6	12	38	2.37	77	34	23.3
39	Katharinatha	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	453.16	12	37	45.4	77	35	19.4
40	Elachavadi	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	734.81	12	35	59.8	77	34	38
41	Doddamaralavadi	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	153.56	12	35	50	77	32	20.2
42	Bhimasandra	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	175.5	12	35	31.9	77	33	4
43	Linganapura	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	76.8	12	35	20.9	77	33	35
44	Devarahalli	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	278.03	12	35	1.18	77	31	37.2
45	Maniyambal	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	212.91	12	34	10.8	77	30	43
46	Bacholhallidoddi	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	398.48	12	33	20.2	77	29	51.7
47	Mavathur	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	32.87	12	33	4.1	77	28	44.7
48	Chakanhalli	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	325.72	12	31	53.1	77	28	45.5
49	Kerelalusandra	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	201.88	12	31	9.22	77	27	53.7
50	Bekuppe	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	13.65	12	30	21.7	77	27	18
51	Narayanapura	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	336.16	12	29	51.5	77	27	35.6
52	Kebbehalli	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	360.74	12	28	1.83	77	28	2.37
53	Garulapura	100 mtr	Kanakapura	Ramanagara	129.86	12	27	2.9	77	29	1.04
54	Dodkaballi	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	49.13	12	27	15.7	77	29	47.3
55	Arkere	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	163.39	12	27	42.3	77	30	1.23
56	Doddaguli	100 mtr	Kanakapura	Ramanagara	278.41	12	28	32.6	77	30	9.28

IndiaCode

57	Halasuru	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	153.71	12	29	2.53	77	30	50.8
58	Hanchaguli	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	284.82	12	29	38.3	77	31	35.3
59	Kebbre	1.0 Km	Kanakpura	Ramanagara	187.52	12	30	32.6	77	31	35.7
60	KengalanattaGollahalli	1.0 Km	Kanakpura	Ramanagara	235.89	12	29	52.2	77	32	29.3
61	Herandyapanhalli	100 mtr	Kanakpura	Ramanagara	100.32	12	28	54.1	77	32	39.7
62	Tippuru	100 mtr	Kanakapura	Ramanagara	54.66	12	27	44.4	77	33	40.2
63	Bijhalli	100 mtr	Kanakapura	Ramanagara	57.7	12	27	16.9	77	34	8.4
64	Bommasandra	100 mtr	Kanakapura	Ramanagara	150.47	12	26	14.7	77	34	6.15
65	Hosadurga	100 mtr	Kanakapura	Ramanagara	118.97	12	24	32.1	77	34	0.73
66	Anakadaburu	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	92.4	12	23	44.7	77	33	20.8
67	Salbanni	100 mtr	Kanakapura	Ramanagara	106.56	12	23	0.21	77	33	38.8
68	Guddeveeranahosahalli	100 mtr	Kanakapura	Ramanagara	102.13	12	22	13.1	77	32	34.1
69	Banimkodlu	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	256.34	12	21	20.1	77	33	52.2
70	Balagondanahalli	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	23.12	12	22	13.4	77	34	53.8
71	Tattekere	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	303.16	12	22	37.5	77	34	45
72	Hunasanahalli	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	236.28	12	23	3.57	77	35	36.4
73	Gangonahalli	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	162.07	12	22	53.3	77	36	29.9
74	Bijjahalli	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	391.33	12	25	30.1	77	35	55.5
75	Kolagaudahalli	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	830.16	12	27	5.61	77	36	26.8
76	Gattigunda	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	764.45	12	28	38.2	77	35	35.1
77	Therubeedi	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	658.49	12	33	10.6	77	33	59.1
	Total				**16884.46**						

IndiaCode

ANNEXURE–V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (Mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.03.12 11:54:33 +05'30'